मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2432

15.12.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लंबित मामले

2432. **श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:**
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:
श्री दामोदर अग्रवाल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत, निपटाए गए और लंबित मामलों की वर्ष-वार, न्यायपीठ-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या एनजीटी की कई पीठों को लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के कारण मामलों के निपटान में देरी का सामना करना पड़ रहा है और यदि हाँ, तो मामले के निपटान में लगने वाले औसत समय का न्यायपीठ-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 12 के अंतर्गत न्यायिक सदस्यों, विशेषज्ञ सदस्यों और अन्य कर्मचारियों की वर्तमान रिक्तियों की न्यायपीठ-वार और पद-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का उक्त अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत एनजीटी की अतिरिक्त न्यायपीठें स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा लंबित मामलों के निपटान की दर बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार एनजीटी के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चला रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कार्यकलापों के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) एवं (ख) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, गत पाँच वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान एनजीटी में दर्ज, निस्तारित तथा लंबित मामलों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। आगे, एनजीटी ने यह भी सूचित किया है कि मामलों के निस्तारण में किसी प्रकार की देरी नहीं हो रही है।

(ग) वर्तमान में, एनजीटी में न्यायिक सदस्य के छह (06) तथा विशेषज्ञ सदस्य के चार (04) पद रिक्त हैं। अन्य कार्मिकों से संबंधित रिक्तियों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय हरित अधिकरण की वर्तमान में पाँच (05) बैठक स्थलों पर बैठकों का संचालन किया जाता है, जो इस प्रकार हैं–दिल्ली (प्रधान पीठ), पुणे (पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ), भोपाल (मध्य क्षेत्रीय पीठ), चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्रीय पीठ) तथा कोलकाता (पूर्वी क्षेत्रीय पीठ)। ये सभी मिलकर भारत के समस्त क्षेत्राधिकार को कवर करते हैं।एनजीटी के अतिरिक्त बेंच की स्थापना हेतु प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ड.) मामलों के निस्तारण की दर बढ़ाने के लिए, सरकार ने एनजीटी के सभी पीठों में डिजिटल अवसंरचना के उन्नयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया है, जिसके अंतर्गत वर्चुअल कोर्ट कार्यवाही एवं एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से ई-फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(च) सरकार समय-समय पर पर्यावरणीय विषयों पर राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन हेतु एनजीटी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस श्रृंखला में, अंतिम राष्ट्रीय सम्मेलन 29 एवं 30 मार्च, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान (आर.ई.) में कार्यालयी व्यय मद के अंतर्गत एनजीटी को ₹7 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

******

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 15.12.2025 को "एनजीटी में लंबित मामले" के संबंध में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2432 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मामलों का पीठवार विवरण

प्रधान पीठ, नई दिल्ली			
वर्ष	**दर्ज मामले**	**मामलों का निपटान**	**लंबित**
2020	989	1315	853
2021	927	1110	670
2022	1491	1323	838
2023	1948	1399	1387
2024	2385	1878	1894
नवंबर 2025 तक	**1725**	**1680**	**1939**

मध्य आंचलिक पीठ, भोपाल			
वर्ष	**दर्ज मामले**	**मामलों का निपटान**	**लंबित**
2020	294	353	192
2021	283	319	156
2022	237	290	103
2023	413	336	180
2024	516	418	278
नवंबर 2025 तक	**376**	**334**	**320**

पूर्वी आंचलिक पीठ, कोलकाता			
वर्ष	**दर्ज मामले**	**मामलों का निपटान**	**लंबित**
2020	253	223	414
2021	263	321	309
2022	506	640	175
2023	344	343	176
2024	440	272	344
नवंबर 2025 तक	**372**	**305**	**411**

दक्षिणी आंचलिक पीठ, चेन्नई			
वर्ष	**दर्ज मामले**	**मामलों का निपटान**	**लंबित**
2020	442	390	534
2021	574	549	559

2022	479	634	342
2023	423	350	415
2024	595	331	680
नवंबर 2025 तक	**476**	**298**	**846**

पश्चिमी आंचलिक पीठ, पुणे			
वर्ष	**दर्ज मामले**	**मामलों का निपटान**	**लंबित**
2020	323	329	663
2021	334	301	696
2022	457	610	543
2023	571	454	660
2024	758	395	1023
नवंबर 2025 तक	**1675**	**765**	**1933**

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 15.12.2025 को "एनजीटी में लंबित मामले" के संबंध में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2432 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अन्य स्टाफ रिक्तियों का विवरण

05.12.2025 तक स्वीकृत स्टाफ संख्या की तुलना में एनजीटी में पीठवार रिक्तियों की स्थिति												
क्र. सं	पद का नाम	वेतन स्तर	एनजीटी की कुल स्वीकृत संख्या	मुख्यालय दिल्ली के लिए स्वीकृत संख्या	प्रत्येक आंचलिक पीठ के लिए स्वीकृत संख्या	दिल्ली (पदस्थ व्यक्ति	पुणे (पदस्थ व्यक्ति)	भोपाल (पदस्थ व्यक्ति)	चेन्नई (पदस्थ व्यक्ति)	कोलकाता (पदस्थ व्यक्ति)	पदस्थ व्यक्ति	रिक्तियां
1	रजिस्ट्रार	स्तर -13	5	1	1	1	1	1	1	1	5	0
2	उप रजिस्ट्रार	स्तर -12	5	1	1	1	0	1	1	0	3	2
3	सहायक रजिस्ट्रार	स्तर -11	5	1	1	1	1	1	0	1	4	1
4	डीसीए	स्तर -11	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5	पीपीएस	स्तर -11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6	लेखा अधिकारी	स्तर -09	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7	हिंदी अधिकारी	स्तर -09	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8	अनुभाग अधिकारी	स्तर -08	11	3	2	4	1	1	2	3	11	0
9	निजी सचिव	स्तर -08	21	5	4	5	1	1	0	1	8	13
10	सहायक (न्यायिक)	स्तर -07	17	5	3	5	3	2	3	2	15	2
11	लाइब्रेरियन	स्तर -06	5	1	1	1	1	1	1	0	4	1
12	हिंदी अनुवादक	स्तर -06	5	1	1	1	1	1	1	1	5	0
13	स्टेनोग्राफर ग्रेड I	स्तर -06	21	5	4	5	0	1	0	0	6	15
14	वरिष्ठ लेखाकार	स्तर -06	5	1	1	2	1	1	0	1	5	0
15	स्टाफ कार चालक	स्तर -06	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

	(विशेष ग्रेड)											
16	स्टाफ कार चालक (ग्रेड -I)	स्तर -5	2	पीठवार स्वीकृत संख्या नहीं बताई गई		0	0	0	0	0	0	2
17	स्टेनोग्राफर ग्रेड II	स्तर -4	12	4	2	2	1	1	0	0	4	8
18	लेखाकार	स्तर -4	5	1	1	1	2	1	1	0	5	0
19	स्टाफ कार चालक (ग्रेड -II)	स्तर -4	6	पीठवार स्वीकृत संख्या नहीं बताई गई		4	2	0	0	0	6	0
20	स्टाफ कार चालक (ओजी)	स्तर 2	12	पीठवार स्वीकृत संख्या नहीं बताई गई		6	0	0	0	0	6	6
21	एमटीएस	स्तर - 1	24	8	4	20	2	4	7	3	24 +12*	0
कुल			166			62	17	17	17	13	114	52

*एनजीटी से प्राप्त सूचनानुसार, **एमटीएस के 24 स्वीकृत पदों में से 36 पर कर्मचारी पदस्थ हैं, अर्थात् माननीय सुप्रीम कोर्ट के निदेशानुसार 12 ज़्यादा हैं।**

*****